भारत सरकार
विधि और न्याय मंत्रालय
न्याय विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 2312
जिसका उत्तर शुक्रवार, 13 फरवरी, 2026 को दिया जाना है

बिहार में पटना उच्च न्यायालय की अतिरिक्त खंडपीठें

2312. श्री मनोज कुमार :

क्या **विधि और न्याय** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार इस बात से अवगत है कि बिहार, जिसका क्षेत्रफल 94,163 वर्ग किलोमीटर है और इसके 38 जिलों में 13 करोड़ से अधिक जनसंख्या है, देश का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है ;

(ख) यदि हां, तो क्या बिहार में पटना उच्च न्यायालय की एकमात्र पीठ पटना में है और तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और असम जैसे अन्य राज्यों में अधिक खंडपीठ हैं ;

(ग) यदि हां, तो लंबित मामलों की संख्या और उच्च न्यायालयों की औसत निपटान दर क्या है ;

(घ) न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या और मौजूदा रिक्तियां, राज्य और उच्च न्यायालय की खंडपीठ-वार ब्यौरा क्या है ;

(ङ) क्या सरकार ने सभी रिक्तियों को भरने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ; और

(च) क्या सासाराम (शाहाबाद-मगध), दरभंगा (मिथिला-कोशी) और पूर्णिया (सीमांचल अंग प्रदेश) में नई खंडपीठ स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है या कोई योजना अस्तित्व में है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और वर्तमान स्थिति क्या है, यदि नहीं, तो इसके कारण क्या हैं ?

उत्तर

विधि और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार); और
संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री अर्जुन राम मेघवाल)

(क) और (ख) : जी हां।

(ग) से (च) : तारीख 10.02.2026 तक, उच्च न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या और निपटान दर की स्थिति **उपाबंध-1** पर है। विभिन्न उच्च न्यायालयों में स्वीकृत पदों और रिक्त पदों की संख्या **उपाबंध-2** में है।

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 217 और अनुच्छेद 224 के अधीन और 6 अक्टूबर, 1993 के उच्चतम न्यायालय के निर्णय (दूसरा न्यायाधीश मामला) और तारीख 28 अक्टूबर, 1998 की उनकी सलाहकारी राय (तीसरा न्यायाधीश मामला) के पश्चात् 1998 में तैयार किए गए प्रक्रिया ज्ञापन (एमओपी) में बताई गई प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। एमओपी के अनुसार, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की ज़िम्मेदारी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति की है, जबकि उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के प्रस्तावों को आरंभ करने की ज़िम्मेदारी संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति की है, जो उच्च न्यायालय के दो सबसे वरिष्ठ अवर न्यायाधीशों के परामर्श से करते हैं। एमओपी के अनुसार, उच्च न्यायालय को, पदों के रिक्त होने से कम से कम 6 मास पहले सिफारिशें करनी होती हैं। तथापि, इस समय सीमा का पालन बहुत कम होता है। उच्च न्यायालय में नियुक्ति के लिए, एमओपी के अनुसार संबंधित राज्य सरकार की राय ली जाती है। इन सिफारिशों पर उन दूसरी रिपोर्ट को ध्यान में रखकर भी विचार करना होता है जो सरकार को विचाराधीन नामों के बारे में मिल सकती हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार की सिफारिशें प्राप्त करके, फिर सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजी जाती हैं।

उच्चतर न्यायपालिका में रिक्त स्थानों को भरना कार्यापालिका और न्यायपालिका के बीच एक सतत, एकीकृत और मिलकर की जाने वाली प्रक्रिया है। इसके लिए राज्य और केंद्र स्तर पर विभिन्न संवैधानिक प्राधिकारियों से सलाह और अनुमोदन की आवश्यकता होती है, जो एमओपी के अनुसार प्राप्त होती है। इन सिफारिशों पर उन दूसरी रिपोर्ट्स को ध्यान में रखकर भी विचार किया जाना चाहिए जो सरकार के पास विचाराधीन नामों के बारे में उपलब्ध हो सकती हैं। उच्च न्यायालय कॉलेजियम, राज्य सरकारों और भारत सरकार के प्रस्ताव प्राप्त करके, फिर सलाह के लिए उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम (एससीसी) को भेजते हैं। केवल उन्हीं व्यक्तियों को उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त किया जाता है जिनके नाम एससीसी द्वारा सिफारिश किए हों।

न्यायालयों में लंबित मामलों की संख्या ऐसे विभिन्न कारणों से हैं जिनमें, अन्य बातों के साथ-साथ, अन्तर्वलित तथ्यों की जटिलता, साक्ष्य की प्रकृति, पणधारियों अर्थात् विधिज्ञ अन्वेषण अभिकरणों, साक्षियों और मुकदमेबाजों का सहयोग इसके अतिरिक्त न्यायाधीशों की कमी है । मामले का निपटारा केवल न्यायपालिका के अनन्य अधिकार क्षेत्र में आता है। तथापि, केंद्रीय सरकार संविधान के अनुच्छेद 21 के अधीन आज्ञापक रूप से मामलों को शीघ्रता से निपटाने और लंबित मामलों को कम करने के लिए प्रतिबद्ध है और न्यायपालिका द्वारा मामले के शीघ्रता से निपटारे के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करने के लिए कई पहलें की हैं।

जसवंत सिंह कमीशन की सिफारिशों और डब्ल्यू.पी. (सी) सं. 2000 का 379 में शीर्ष न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के अनुसार और राज्य सरकार के पूर्ण प्रस्ताव पर सम्यक रूप से विचार करने के पश्चात् उच्च न्यायालय पीठ स्थापित की जाती हैं, जिसे आवश्यक व्यय और अवसंरचनात्मक सुविधाएं प्रदान करनी होती हैं और संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति को उच्च न्यायालय का दिन-प्रतिदिन का प्रशासन देखना होता है। प्रस्ताव पूरा होने के लिए संबंधित राज्य के राज्यपाल की स्वीकृति भी होनी चाहिए।

वर्तमान में, बिहार उच्च न्यायालय पीठ (पीठों) को बनाने के लिए भारत सरकार के पास कोई पूर्ण प्रस्ताव लंबित नहीं है।

****

उपाबंध-1

तारीख 10.02.2026 तक विभिन्न उच्च न्यायालयों के लंबित मामले और निपटान दरें

उच्च न्यायालय	लंबित मामलों की संख्या	2018 से संस्थित हुए मामले	2018 से निपटाए गए मामले	निपटान दर (%)
इलाहाबाद	1207325	2535189	2228638	87.91
आंध्र प्रदेश	249222	439550	355722	80.93
बंबई	665754	1331691	1136940	85.38
कलकत्ता	195918	491020	525331	106.99
छत्तीसगढ़	75990	340675	324536	95.26
दिल्ली	126114	395486	341293	86.30
गुवाहाटी	64076	234078	207042	88.45
गुजरात	174537	625241	553320	88.50
हिमाचल प्रदेश	104139	400796	330469	82.45
जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	43291	112470	135986	120.91
झारखंड	73000	333927	349607	104.70
कर्नाटक	329810	744467	633042	85.03
केरल	249495	727259	660138	90.77
मध्य प्रदेश	481480	1131327	961057	84.95
मद्रास	549937	2502092	2484699	99.30
मणिपुर	5933	22375	21001	93.86
मेघालय	1760	11391	10605	93.10
उड़ीसा	162205	761193	764499	100.43
पटना	219597	944381	867846	91.90
पंजाब और हरियाणा	413963	1141947	1083928	94.92
राजस्थान	670681	1587045	1652106	104.10
सिक्किम	295	1449	1363	94.06
तेलंगाना	235767	511580	464608	90.82
त्रिपुरा	1390	18904	20308	107.43
उत्तराखंड	60497	157050	128582	81.87

स्रोत: राष्ट्रीय न्यायिक डेटा ग्रिड

उपाबंध-2

उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत पद संख्या, कार्यरत पद संख्या और रिक्तियों की संख्या. (तारीख 09.02.2026 तक)

क्र.	उच्च न्यायालय	स्वीकृत पद संख्या	कार्यरत पद संख्या	रिक्तियां
1	इलाहाबाद	160	109	51
2	आंध्र प्रदेश	37	32	5
3	बंबई	94	80	14
4	कलकत्ता	72	43	29
5	छत्तीसगढ़	22	15	7
6	दिल्ली	60	44	16
7	गुवाहाटी	30	25	5
8	गुजरात	52	35	17
9	हिमाचल प्रदेश	17	12	5
10	जम्मू-कश्मीर और लद्दाख	25	14	11
11	झारखंड	25	14	11
12	कर्नाटक	62	46	16
13	केरल	47	40	7
14	मध्य प्रदेश	53	42	11
15	मद्रास	75	53	22
16	मणिपुर	5	3	2
17	मेघालय	4	4	0
18	उड़ीसा	33	19	14
19	पटना	53	38	15
20	पंजाब और हरियाणा	85	61	24
21	राजस्थान	50	39	11
22	सिक्किम	3	3	0
23	तेलंगाना	42	28	14
24	त्रिपुरा	5	4	1
25	उत्तराखंड	11	10	1
	कुल	**1122**	**813**	**309**

****